

Uttar Pradesh Shasan  
Karmik Anubhag-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 3-E.M/2012-Ka-4-2024, dated 06 December, 2024.

NOTIFICATION  
No. 3-E.M/2012-Ka-4-2024,  
Lucknow: dated: 06 December ,2024

WHEREAS the State Government is satisfied that it necessary and expedient in the public interest so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub section (1) of section-3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P. Act No. 30 of 1966), the Governor is pleased to prohibit, for a period of six months from the date of publication of this notification in the Gazette, strikes in :-

(1) any public service in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh; and

(2) any service under a corporation owned or controlled by the State Government and any service under a local authority.

2. Under sub-section (2) of section-3 of the aforesaid Act, the Governor is further pleased to direct that this notification shall be published in the Gazette and in at least two daily newspapers of Hindi and English having circulation in the State.

by order,

Signed by

(M. Devaraj)

M Devaraj  
Principal Secretary

Date: 06-12-2024 12:38:19

उत्तर प्रदेश शासन  
कार्मिक अनुभाग-4  
संख्या- 3-ई0एम0/2012/का-4-2024  
लखनऊ: दिनांक: 06 दिसम्बर, 2024

### अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

अतएव, अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए हड़ताल, निम्नलिखित में प्रतिषिद्ध करती हैं-

(1) उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के संबंध में किसी लोक सेवा; और

(2) राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी सेवा।

2. पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि यह अधिसूचना गजट में और राज्य में प्रसार वाले कम से कम दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।

आज्ञा से,  
Signed by  
M Devaraj  
(एम. देवराज)  
Date: 06-12-2024 12:38:52  
प्रमुख सचिव